पत्रांक–01/सी०एल०–10–23/2022 (खण्ड–I) श्र०सं०....
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती,भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण (छपरा), पटना, वैशाली एवं औरंगाबाद

पटना, दिनांक–

विषयः– विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू0 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से पंचम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन /एफ०आई०आर०
1	सारण (छपरा)	BIH_SARAN_2024 110151	नीजू कुमार	13.03.2024	135/2024
2		BIH_SARAN_2024 109764	मिथिलेस कुमार	20.02.2024	26/2024
3		BIH_SARAN_2024 109677	मोनू कुमार मन्नू	08.02.2024	91/2024
4		BIH_SARAN_2023 109440	कुन्दन कुमार	05.12.2023	391/2023
5		BIH_SARAN_2023 109012	सुमित कुमार	25.08.2023	363/2023
6		BIH_SARAN_2023 109014	करण कुमार	25.08.2023	33/2023
7	पटना	BIH_PATNA_2024 110066	कल्लू कुमार	26.06.2024	446/2024
8		BIH_PATNA_2024 110562	विकास कुमार	25.10.2024	461/2024
9		BIH_PATNA_2024 110255	सचिन कुमार	05.07.2024	536/2024
10		BIH_PATNA_2024 110057	सनोज कुमार	21.06.2024	551/2024
11		BIH_PATNA_2024 110095	सन्दु कुमार	26.06.2024	123/2024
12		BIH_PATNA_2024 110267	विवेक कुमार	03.07.2024	557/2024
13		BIH_PATNA_2024 110059	मो० शारूख	21.06.2024	551/2024

14		BIH_PATNA_2024 110056	मन्नू कुमार	21.06.2024	551/2024
15		BIH_PATNA_2024 110055	अमन कुमार	21.06.2024	551/2024
16		BIH_PATNA_2024 110046	कौशल कुमार	24.06.2024	520/2024
17		BIH_PATNA_2024 110045	राज कुमार	24.06.2024	520/2024
18	वैशाली	BIH_VAISH_2024 110516	अन्नु कुमार	30.01.2024	19/2024
19		BIH_VAISH_2024 110260	पंकज कुमार	28.05.2024	190/2024
20		BIH_VAISH_2024 110503	अनिल कुमार	08.10.2024	408/2024
21		BIH_VAISH_2024 109574	गौतम कुमार	05.01.2024	20/2024
22	औरंगाबाद	BIH_AURAN_2024 110435	धर्मवीर कुमार	25.09.2024	208/2024

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण।
सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	36246435583	**SBIN0016621**	06	6@25000	1,50,000	पत्रांक–405/ दिनांक–08.02.25
पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	36502035006	**SBIN0018815**	11	11@25000	2,75,000	पत्रांक–588/ दिनांक–07.02.25
वैशाली	जिला पदाधिकारी, वैशाली	36285070511	**SBIN0000088**	04	04@25000	1,00,000	पत्रांक–239/ दिनांक–08.02.2025
औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	36431454017	**SBIN0000013**	01	01@25000	25,000	पत्रांक–168/ दिनांक–08.02.2025
कुल				22	22@25000	5,50,000/- **(पाँच लाख पचास हजार)**	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/सी०एल०–10–23/2022 (खण्ड–I) श्र०सं०....... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा), पटना, वैशाली एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/सी०एल०–10–23/2022 (खण्ड–I) श्र०सं०1106 पटना, दिनांक 03/03/2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/2/25

श्रमायुक्त, बिहार

6)